न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, किशनगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमान रजंत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 92/2012 (2012/00280)

पुजारी भंवरलाल पुत्र श्रीलाल, मन्दिर श्री चन्द्रबिहारी जी ग्राम रलावता, जाति ब्राह्मण पुरोहित (मृतक) जरिये वारिसान

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र भंवरलाल निवासी ग्राम रलावता
2. मुकुट बिहारी पुत्र भंवरलाल निवासी ग्राम रलावता
3. चन्द्रकान्ता पुत्री भंवरलाल निवासी पुष्कर जिला अजमेर राज.।
4. सुमित्रा देवी पुत्र भंवरलाल पत्नी रामजीलाल पारीक निवासी ग्राम दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर।
5. चन्द्रकिरण पुत्री भंवरलाल पत्नी द्वारकाप्रसाद पारीक निवासी साकून तहसील दूदू जिला जयपुर।
6. कौशल्या देवी पुत्री भंवरलाल पत्नी नोरतमल जोशी निवासी रियाबाडी जिला नागौर
7. निशा देवी पुत्री भंवरलाल पत्नी शंकरलाल पारीक निवासी चौमू तहसील फागी जिला टोंक
8. अनिता देवी पुत्री भंवरलाल पत्नी संन्तोष कुमार तिवाडी निवासी परबतसर तहसील परबतसर जिला नागौर राज.।
9. स्नेहलता पुत्री भंवरलाल पत्नी महेन्द्रकुमार पारीक निवासी सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

प्रार्थीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान —अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार

दिनांक :— 20.08.2025

1. प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकुट बिहारी पारीक ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राज.अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रलावता पटवार हल्का रलावता के कृषि अराजी खसरा संख्या 230 रकबा 08 बीस्वा गै. मु. चाह, खसरा संख्या 231 रकबा 06 बीस्वा किस्म गै.मु. तिबारी, खसरा संख्या 233 रकबा 03 बीघा 03 बीस्वा, खसरा संख्या 238 रकबा 11 बीस्वा, खसरा संख्या 239 रकबा 32 बीघा 05 बीस्वा एवं खसरा संख्या 811 रकबा 01 बीघा 10 बीस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 38 बीघा 03 बीस्वा भूमि स्थित है जो कि मन्दिर श्री चन्द्रबिहारी जी महाराज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । उपरोक्त कृषि आराजी पूर्व जमाबन्दी में मन्दिर श्री चन्द्र बिहारी की महाराज खुदकाश्त पुजारी श्री भंवरलाल पुत्र श्रीलाल जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज थी जिसे राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 19.05.1992 को पुजारी का नाम विलोपित कर दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ सम्वत 2049 से 2052 तक भी प्रमाणित प्रति संलग्न है तथा नामान्तरण संख्या 249 दिनांक 19.05.1992 की प्रति

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न है । अतः श्रीमान से निवेदन है कि राज्य सरकार राजस्व ग्रुप 06 विभाग जयपुर दिनांक 25.11.2011 के परिपत्र आदेश के अनुसार उक्त जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में विधिक व्यक्ति पुजारी भंवरलाल पुत्र श्रीलाल पुरोहित जाति ब्राह्मण के नाम का इन्द्राज करने की कृपा करें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.2012 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी करवाई गई। दिनांक 27.09.2012 को पेरोकार सरकार ने जवाब पेंश किया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि वादअधीन भूमि ग्राम रलावता स्थित खसरा संख्या 230 231, 233, 238, 239, 811 भूमि जमाबन्दी के अनुसार मन्दिर श्री चन्द्रबिहारी जी महाराज स्थान देह खातेदार पुजारी भंवरलाल वल्द श्रीलाल के नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का नाम पुजारी के रूप में दर्ज है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.11.2011 के अनुसार प्रार्थी का नाम खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिती में पुजारी का नाम परिपत्र दिनांक 31.12.1991 में किये गये प्रावधानों के अनुसार विलोपित किया गया है जो कि सही किया गया है। ऐसी स्थिती में उक्त प्रकरण धारा 136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत नही बनता है। अतः प्रकरण को खारिज किया जावे।

3. दिनांक 03.04.2014 को वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे दिनांक 22.05.2014 को स्वीकार किया गया एवं दिनांक 07.04.2025 को वकील प्रार्थी ने संशोधित शीर्षक पेश किया जिसे रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 07.04.2025 से पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम में नियत की गई। किन्तु वकील प्रार्थी के लगातार अनुपस्थित रहने से दिनांक 18.08.2025 को वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात एवं पेरोकार सरकार की बहस के अनुसार गुणावगुण पर निर्णीत किया गया।

4. हमारे द्वारा पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राज.अधि. 1956 एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.11.2011 के अनुसार वादअधीन भूमि में पुनः पुजारी का नाम दर्ज करवाने बाबत उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मन्दिर भूमि में खातेदारी अधिकारों के बाबत राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.02(4)राज./4/90/37 दिनांक 13.12.1991 के अनुसार "देवमूर्ति एक शाश्वत अवयस्क है तथा देवमूर्ति की भूमि पर पुजारी या अन्य किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकतें है। जो जमाबन्दी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभावशील है उनमें देवमूर्ति के स्थान पर जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे। " राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प03(2)राज–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 के अनुसार "जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मंदिर के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी। उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होगे। मंदिर मूर्ति निरन्तर अवयस्क है। वह किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी, सेवादार, आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। ऐसे प्रकरणों जिनमें मंदिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे।" राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प03(2)राज–6/2007/05 दिनांक 12.09.2018 के अनुसार " जिन पुजारियों के नाम जागीर पुनग्रहंण अधिनियम 1952 के अनुसार खातेदार, पट्टेदार खादिमदार के रूप में दर्ज थे केवल उन्हे ही पुनः खातेदारी दी जा सकती है। किन्तु वकील प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तोवज

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिसमें जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के तहत प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में खातेदार, खादिमदार अथवा पट्टेदार के रूप में दर्ज हो, प्रार्थी का नाम राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.02(4)राजं./4/90/37 दिनांक 13.12.1991 के अनुसार विलोपित किया गया है जो कि उचित है एवं प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो कि राजस्व रिकार्ड में कोई त्रुटि हुई हो। उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 भू.राज. अधि. 1956 की परिधि में नहीं आता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राज.अधि. के प्रावधानों के अनुसार पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रजत यादव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)